



To be displayed at
Hostel Website

जाति

In-Charge Student Affairs
Gautam Buddha University
Greater Noida (U.P.)

Gautam Buddha University

(Established by UP Act (9) of 2002)

GBU-003/FIN/5.50/2023-24/2647

Dated: 01.03.2024

:: 30प्र0 छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति-SC /जनजाति-ST के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना ::

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 में 30प्र0शासन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति
योजनान्तर्गत समय-सारणी (द्वितीय चरण) वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर SC-ST
वर्ग के छात्र-छात्राओं को दिनांक 01.03.2024 से 31.03.2024 तक ऑनलाइन
आवेदन करने के सम्बन्ध में।

(Time Table for Session 2023-24)

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1.	सिर्फ अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन नवीन (Fresh) आवेदन तथा नवीनीकरण (Renew) आवेदन किये जाने हेतु समय-सारणी की सूचना प्रेषित है।	प्रारम्भ 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2024 अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
2.	त्रुटियों को छात्र-छात्राओं द्वारा पुनः ठीक किया जाना	फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों सहित छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना है।	ऑनलाइन आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट समस्त दस्तावेजों के साथ वित्त विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 03 कार्य दिवसों के अन्दर जमा कराया जाना तथा दिनांक 03 अप्रैल, 2024 तक अथवा उससे पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करें।




(नीरज कुमार)
वित्त अधिकारी

Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh -201312


Ph. : +91-120-2344200, Fax : +91-120-2344205 & 215, E-mail : info@gbu.ac.in, Website : www.gbu.ac.in

बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ।
पढ़ी लिखी बेटी। रोशनी घर की।



प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ हेतु।
3. शैक्षिक अधिष्ठाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त स्कूल अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(नोट: समस्त अधिष्ठाता कार्यालय के कर्मचारियों को इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् पात्र अनुसूचित जाति-SC/ जनजाति- ST वर्ग के छात्र-छात्राओं को सूचना Whatsapp Group के माध्यम से प्रेषित करें।)
5. प्रभारी अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष/ महिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परीक्षा समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं जिन छात्र-छात्राओं की ई-मेल उपलब्ध है, उन्हें ई-मेल के द्वारा सूचित करने हेतु।
9. समस्त सूचनापट्ट पर चर्या कराये जाने हेतु।


(नीरज कुमार)
वित्त अधिकारी